सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 06/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

रामनारायण पुत्र छोगा तहसील जाति खाती निवासी घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर राज.

----प्रार्थी

♠बनाम♠

1. दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल
2. मेवा पुत्र छोगा
3. मिश्री पुत्री छोगा
4. बरजी फोत पुत्री फोत
   समस्त जाति खाती निवासी घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तह. सावर जिला अजमेर

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 10.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प घटियाली में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेंर की जमाबन्दी के खाता स. 1114 के खसरा नम्बर 4756 कुल रकबा 0.23 है. किस्म चाही दर्ज है। उक्त आराजी के पूर्व के और आराजी खाता स. 466 के खसरानम्बर 4758 कुल रकबा 0.01 है. गै.मु.चाह में प्रार्थी व अप्रार्थी स. 2 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थी खसरा नम्बर 4758 पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 4759 और ख.न.4760 जो कि अप्रार्थी स. 1 की खातेदारी में दर्ज है के मध्य मेड से गै.मु.चाह खसरा नम्बर 4758 पर आने जाने के लिये काम आती है। प्रार्थी के खातेदारी खसरानम्बर 4756से 4758 गै.मु.चाह पर जाने के लिये अप्रार्थी स. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4759 ,4760 अवस्थित होने से प्रार्थी के खसरानम्बर 4758 गै.मु. चाह पर जाने के लिये उक्त खसरा नम्बर के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है न ही कोई वैकल्पिक मार्ग ही अवस्थित है। अप्रार्थी स. 1 प्रार्थी को उक्त रास्ता में आने जाने हेतु उक्त रास्ता भूमि खसरा नम्बर 4759 रकबा 0.29 है., ख.न. 4760 रकबा 0.28 के मध्य मेड से दिये जाने वाला रास्ता भूमि की डीएलसी दर के अनुसार कीमत प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 को प्रदान करने हेतु तत्पर है। जो अप्रार्थी स.1 को दिलाई जाकर उक्त रास्ता ख.न. 4759च 4760 में मध्य सिवायचक रास्ता दर्ज किया जाकर प्रार्थी के आने जाने में अवरोध उत्पन्न करने से अप्रार्थी स. 1 को सर्वदा पाबन्द किया जावें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 4759 रकबा 0.29 है. एवं खसरा नम्बर 4760 रकबा 0.28 है. के मध्य मेड से होते हुये प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरानम्बर 4756से 4758 पर जाने हेतु 10फीट चौडा रास्ता मुर्तिब किया जाकर प्रार्थी को प्रदान किया जावें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली केम्प कोर्ट घटियाली में पेश हुयी। वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पक्षकारानो को सुना गया। पत्रावली में जवाब सरकार पेश हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जबाव सरकार अनुसार ग्राम घटियाली के खसरा नम्बर 4756/0.23 वादी के एकल खातेदारी दर्ज है एवं खसरा नम्बर 4758/0.01 सह खातेदारी में दर्ज है तथा खसरानम्बर 4759/0. 29,4760/0.28 है. अप्रार्थीगण दुर्गालाल के खातेदारी में दर्ज है। वादी के खसरा नम्बर 4756व 4758 पर जाने के लिये अप्रार्थी स. 1 के खसरा नम्बर 4759 व 4760 में से रास्ता चाहा गाया है लेकिन मुख्य रास्ते से खसरा नम्बर 4759 व 4760 केमध्य होकर जाने वाले रास्ते की दूरी 100 मीटर आती है। जबकि मुख्य रास्ते से खसरा नम्बर 4757 की पश्चिम सीमा और जाने वाले रास्ते की दूरी मात्र 36 मीटर आती है। कम दूरी का होने के कारण खसरा नम्बर 4757 में से रास्ता दिया जाना स्वीकार किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के दस्तावेजों का एवं प्रस्तुत जवाब सरकार व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजी में आने–जाने हेतु रास्ता चाहा गया है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. का ग्राम घटियाली के खसरा नम्बर 4756／0.23 वादी के एकल खातेदारी दर्ज है एवं खसरा नम्बर 4758／0.01 सह खातेदारी में दर्ज है तथा खसरानम्बर 4759／0.29,4760／0.28 है. अप्रार्थीगण दुर्गालाल के खातेदारी में दर्ज है। वादी के खसरा नम्बर 4756व 4758 पर जाने के लिये अप्रार्थी स. 1 के खसरा नम्बर 4759 व 4760 में से रास्ता चाहा गाया है लेकिन मुख्य रास्ते से खसरा नम्बर 4759 व 4760 केमध्य होकर जाने वाले रास्ते की दूरी 100 मीटर आती है। जबकि मुख्य रास्ते से खसरा नम्बर 4757 की पश्चिम सीमा और जाने वाले रास्ते की दूरी मात्र 36 मीटर का नक्शा में अंकन किये जाने हेतु निम्नानुसार अंकन किया जाने हेतु स्वीकार किया जाता है

खसरा नम्बर	खातेदार का नाम	कुल रकबा	आनुपातिक क्षेत्रफल	डीएलसी दर अनुसार राशि
4757	देवालाल पुत्र सालमा गुर्जर	0.12 है.	0.02 है.	0.02 X 236000 = 4720.00 रूपये की दुग अनी राशि 9440 रूपये／–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार निर्णय की पालना में 9440रूपये जमा राजकोष या अप्रार्थीगण को भुगतान करने पर वर्तमान नक्शे में रास्ते की तरमीम कर पालना रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी